राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र संख्या...........128 / 2014.............................. जिला ....टोंक..................................

उनवान : ीमती कम्पो पत्नी मोहम्मद रफिक, टोंक जयपुर बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जा हुए
	एकलपीठ **श्रीमती आशा कुमारी – सदस्य**	
13 / 01 / 2015	वकील प्रार्थी श्री अब्दुल रहमान अब्बासी एवं अप्रार्थी विभाग के विभागीय पैरोकार श्री आर. के. अजमेरा उपस्थित। विद्वान अभिभाषकगण के तर्क प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पुर्नःस्थापना प्रार्थना पत्र पर सुने गये तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत पुर्नःस्थापना प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है जिसके प्रतिउत्तर में कोई प्रति शपथ पत्र या आपत्ति विभागीय पैराकार की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई। आपेक्षित आदेश के माध्यम से प्रार्थी की अपील दिनांक 28.11.2014 को निगरानिकर्ता की अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारीज की गई है। प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियों के आलोक में, प्रार्थी निगरानिकर्ता की ओर से प्रस्तुत **पुर्नस्थापना पत्र स्वीकार करके** निगरानी संख्या 598 / 2010 / टोंक में पारित आदेश दिनांक 28.11.2014 अपास्त किया जाता है ओर निगरानी संख्या 598 / 2010 / टोंक इसके मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित की जाती है। रेस्टोरेशन पत्रावली संख्या 128 / 2014 / टोंक के साथ संल्गन रहे तथा निगरानी संख्या 598 / 2010 / टोंक प्रकरण में बहस हेतु दिनांक ...10.3.15..... को एकलपीठ के समक्ष पेश हो। अप्रार्थीगण के बहर नोटिस पेश होने पर पुनः जारी किये जाये। आशा कुमारी 13.1.15 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**	